न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/592

1. लाडू लाल आयु 50 साल आत्मज श्री गणपत जाति मीणा निवासी ग्राम आमली तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रतन आयु 60 साल आत्मज श्री गणपत जाति मीणा निवासी ग्राम आमली तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 45 साल आत्मज श्री गणपत जाति मीणा निवासी ग्राम आमली हाल निवास गुढानाथावतान तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. श्रीमती बद्री आयु 43 वर्ष पुत्री गणपत पत्नी श्री छोटू लाल जाति मीणा निवासी ग्राम लाडपुर तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मसरू आयु 40 साल पुत्री गणपत पत्नी जगना जाति मीणा निवासी ग्राम गोपाल निवास तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राणावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आमली तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 292/341 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 376/289 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा कुल 03 किता कुल रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम प्रेमपुरा

तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 65 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 की पुश्तैनी भूमि है जो उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है । उक्त भूमि में वादी का 2/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 02 लाडू का 3/7 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादी क्रम 01 रतन व प्रतिवादी क्रम 03 का हिस्सा अंकित है और पक्षकार अपने –अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है जिससे वादी अपने हिस्से का समुचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं तथा बैंक सहकारी समिति व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाई व परेशानी उत्पन्न हो रही है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को अपने पृथक खाते दर्ज करावे तथा पृथक से लगान कायम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते दर्ज किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.07.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही मौखिक रूप से विभाजन हो चुका है तथा मुताबिक विभाजन प्रभू द्वारा उसके हिस्से की भूमि को अपीलान्ट लाडू को अन्तरित कर दिया गया था । पक्षकारान जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं जिन पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । रेस्पोडेन्ट क्रम 03 जो कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 लगायत 2 की बहिनें हैं जिनको कानूनन भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता किन्तु रामस्वरूप रेस्पोडेन्ट द्वारा मसरू के नाम इंतकाल दर्ज करवाकर उक्त भूमि का रिलीज डीड मसरू बाई से निष्पादित करवाकर स्वयं के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि मसरू बाई द्वारा निष्पादित रिलीज डीड एवं उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज प्रारम्भ से ही शून्य है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की

दिनांक 28.07.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा पेश किया था जिसका जवाबदावा अपीलान्ट लाडूलाल के द्वारा पेश किया गया था । उससे पूर्व ही अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 1 और प्रभूलाल के मध्य आपसी सहमति से भूमि का विभाजन हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । पूर्व में पक्षकारान के मध्य मौखिक विभाजन हो गया था । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं । बहिनों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते फिर भी बहिनों के नाम इंतकाल खुलवाकर रिलीज डीड का निष्पादन करवाया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील प्रतिवादी कम 1 और 2 के द्वारा पेश की गई है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है और वादी और प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 इसमें सहखातेदार दर्ज हैं । पूर्व में बंटवारे का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब सरकार में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रख गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर

तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी सरकार से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.3.2020

(भार्गवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा